

1462



हरियाणा HARYANA

दस्तावेज पट्टा नामा

335117

REGISTRAR
MILANA

अस्टाम : 500/-रु
क्रमांक / दिनांक : 887/9-3-2009

पट्टा भूमि: 6 क्वाल 9 मरले
पट्टा अवधि: 30 वर्ष दिनांक 9-3-2009 ता 8-3-2039
पट्टा राशि: 4000/-रु प्रति वर्ष

वाका : धनौरा नं 80

पट्टा कर्ता : यश कुमार पुत्र श्री दिलबाग राये कुमार पुत्र श्री देश राज
निवासी धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा गृहिता: श्रीमति मायावती मैमोरियल एज्यूकेषनल सोसायटी, यमुनानगर
मार्फत मनैजर बृजेष्वा कपिल पुत्र श्री नरेश कपिल निवासी धनौरा
सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा कर्ता ने वाका रकबा धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला में
स्थित अनुसार जमाबन्दी 1999-2000 व इन्तकाल नम्बर 2135 अपनी मलोक्यती
भूमि तादादी 6 क्वाल 9 मरले अज छोट नम्बर 816 नम्बर खतरा 35//12/2

पट्टा कर्ता
यश कुमार

पट्टा गृहिता
बृजेष्वा कपिल

887

9/3/09

2121 मुद्रांक के अनुसार प्रमाणित
500 पल्लिका

प्रलेख नं: 1463

दिनांक 09/03/2009

डॉड संबंधी विवरण	
डॉड का नाम तहसील/सब-डिवीजन गांव/शहर	मुलाना धनौरा
धन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 500.00 रुपये
	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये
रूपये	

यह प्रलेख आज दिनांक 09/03/2009 दिन सोमवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी यश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी दिलबाग राय निवासी धनौरा द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री यश कुमार

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
मुलाना

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी बृजेश कपिल पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सुखदेव सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी धनौरा व श्री/श्रीमती/कुमारी नरेश कपिल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अविनाश चन्द निवासी धनौरा ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनांक 09/03/2009

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
मुलाना

रकबा 6 कनाल 11 मरले का 129/131 भाग बकदर 6 कनाल 9 मरले को ब्यारह दर मु 04 चार हजार रुपये 4000/- प्रति वर्ष 30 वर्ष दिनांक 9-3-2009 से दिनांक 8-3-2039 तक फरीक दायम को पट्टा पर दे दही/ दी है दोनों पक्षों ने निम्न शर्तें आपस में तय की हैं :-

- 1- पट्टा गृहिता पट्टा कर्ता को प्रति वर्ष पट्टा राशि अदा करता रहेगा तथा रसीद प्राप्त करता रहेगा बिला रसीद कोई अदायगी काबिले मुजराई न होगी । निरन्तर दो वर्ष पट्टा राशि अदा न किए जाने पर पट्टा कर्ता को हक होगा कि वह कब्जा भूमि छुड़ा लेवे तथा बकाया पट्टा बजरिया अदालत पसूल करे ।
- 2- पट्टा गृहिता भूमि पट्टा को जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे अर्थात् बिल्डिंग बनाए, डोल के मैदान के रूप में प्रयोग करे या अन्य किसी प्रकार से भी - एजुकेषनल प्रयोग में लावे पट्टा कर्ता को कोई एतराज न होगा परन्तु कोई अस्तवैधानिक कार्य करने का हक पट्टा गृहिता को न होगा ।
- 3- पट्टा गृहिता अपने नाम पर बिजली, पानी, टैलफोन आदि के कनेक्शन ले सकता है इसमें पट्टा कर्ता का कोई एतराज न होगा ।
- 4- मियाद पट्टा समाप्त पर पट्टा गृहिता पट्टा कर्ता को कब्जा वापिस करने का पाबन्द रहेगा ।

844
PAWAN SHARMA
Dead Writer
Received Fees

गृहिता पट्टा नामा सामने गवाहान लिखा दिया कि सनद रहे ओर समय काम आवे ।

सुरदेव सिंह

पट्टा कर्ता
यशकुमार

पट्टा गृहिता
नरेशा कपिल

1- सुरदेव सिंह नम्बरदार
एनौर

ग0न02
नरेशा कपिल पुत्र श्री अविनाश चन्द
धनौरा

Reg. No. 1,463 Reg. Year 2008-2009 Book No. 1



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

पट्टा देने वाला	यश कुमार <i>Yash Kumar</i>	
पट्टा लेने वाला	बृजेश कपिल <i>Brijesh Kapil</i>	
गवाह	सुखदेव सिंह नम्बरदार <i>Sukhdev Singh</i>	
गवाह	नरेश कपिल <i>Narash Kapil</i>	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1,463 आज दिनांक 09/03/2009 को बही न: 1 जिल्द न: 24 के पृष्ठ न: 12 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 326 के पृष्ठ सख्या 93 से 94 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनांक 09/03/2009



उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
मुलाना



हरियाणा HARYANA

313009

दस्तावेज पट्टानामा

अस्टाम : 600/-रु
क्रमांक / दिनांक: 670/3-5-2007

पट्टा भूमि: 9 कनाल 2 मरले
पट्टा अवधि: 30 वर्ष दिनांक 1-5-2007 ता 30-4-2037 तक
पट्टा राशि : 5000/-रु प्रति वर्ष

वाका : धनौरा न0 80

पट्टा कर्ता : नरेश चन्द पुत्र श्री अविनाश चन्द पुत्र श्री रामप्रताप निवासी धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा ग्रहिता : श्रीमति मायावती मैमोरियल एजूकेशनल सोसायटी, यमुनानगर मार्फत मनैजर बृजेश कपिल पुत्र श्री नरेश कपिल निवासी धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा कर्ता ने वाका रकबा धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला में स्थित अपनी मलकियती भूमि तादादी 9 कनाल 2 मरले अज खेवट नम्बर 3/3 नम्बर खसरा 35//21/2 रकबा 1-15 का 1/3 भाग वकदर 0 कनाल 12 मरले वा खेवट नम्बर 748 मिन /863 मिन नम्बर खसरा 53//27

पट्टा कर्ता
नरेश चन्द
heshuamr

पट्टा ग्रहिता
बृजेश कपिल
brjesh kapa

PAWAN SHARMA
Deedwriter, Barara
(Ambala)

4221 नाम
756701
31/5/07 नरेश चन्द पुत्र श्री अविनाश चन्द निवासी धनौरा जिला अम्बाला
श्री अविनाश चन्द पुत्र श्री अविनाश चन्द निवासी धनौरा जिला अम्बाला
श्री अविनाश चन्द पुत्र श्री अविनाश चन्द निवासी धनौरा जिला अम्बाला

प्रलेख नः 150 दिनांक 07/05/2007

यह प्रलेख आज दिनांक 07/05/2007 दिन सोमवार समय
श्री नरेश चन्द पुत्र श्री अविनाश चन्द वासी धनौरा जिला अम्बाला
द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

सर्वोक्त/उप पंजीयन अधिकारी
मुलाना

प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया तथा प्रलेख में वर्णित राशि रु 5,000 के लेन - देन को भी स्वीकार किया यह राशि मेरे सम्मुख श्री श्रीमति मायावती मे0एज0 दा0 पुत्र श्री वासी धनौरा जिला अम्बाला द्वारा पेश की गई तथा दोनों पक्षों की पहचान श्रीबलबीर सिंह नम्बरदार पुत्र श्री वासी धनौरा जिला अम्बाला व श्री यश कुमार पुत्र श्री दिलबाग राय कुमार वासी धनौरा जिला अम्बाला ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/सरपंच/पंच/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः2 की पहचान करता है।

दिनांक 07/05/2007

हस्ताक्षर,


सर्वोक्त/उप पंजीयन अधिकारी
मुलाना

श्री अविनाश चन्द
श्री अविनाश चन्द
श्री अविनाश चन्द

/2/

रकबा 2-2 का 1/3 भाग बकदर 14 मरले वा नम्बर खसरा 53//28 रकबा 11-12 का 22/232 भाग बकदर 1 कनाल 2 मरले वा खेवट नम्बर 828 मिन /951 मिन - 952 नम्बर खसरा 35//18 रकबा 6-10, 21/1 रकबा 1-10, 53//29 रकबा 0-12, व 57//1/2 रकबा 3-8, 2 रकबा 8-0 किता 5 रकबा 20 कनाल 0 मरले का 187/560 भाग बकदर 6 कनाल 14 मरले इस प्रकार कुल तादादी 9 कनाल 2 मरले को बशरह दर मु0 पांच हजार रूप्ये (5000/-रु) प्रति वर्ष तीस वर्ष दिनांक 1-5-2007 ता 30-4-2037 तक पट्टा पर दे दी है दोनो पक्षो ने निम्न शर्ते आपस में तय की हैं :-

- 1- पट्टा ग्रहिता, पट्टा कर्ता को प्रतिवर्ष पट्टा राशि अदा करता रहेगा तथा रसीद प्राप्त करता रहेगा विला रसीद कोई अदायगी काबिले मुजराई न होगी । निरन्तर दो वर्ष पट्टा राशि न अदा किए जाने की सूरत में पट्टा कर्ता को हक होगा कि वह कब्जा भुमि प्राप्त कर लेवे तथा बकाया पट्टा की वसूली बजरिया कोर्ट कर लेवे ।
- 2- पट्टा ग्रहिता भुमि पट्टा को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे अर्थात उक्त भुमि में विल्डिंग बनाए तथा खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करे या अन्य किसी प्रकार से भी एजुकेशनल प्रयोग में लावे, पट्टा

पट्टा कर्ता
नरेश चन्द


पट्टा ग्रहिता
वृजेश कपिल


PAWAN SHARMA

/3/

कर्ता का कोई एतराज न होगा परन्तु पट्टा भूमि में कोई भी असंवैधानिक कार्य करने का हक पट्टा ग्रहिता को न होगा यदि करेगा तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा ।

3- पट्टा ग्रहिता पट्टा भूमि में अपने नाम पर बिजली, टैलिफोन या पानी आदि के कनेक्शन लेवे पट्टा कर्ता का कोई एतराज न होगा ।

4- मियाद समाप्ति पर पट्टा ग्रहिता, भूमि पट्टा को , पट्टा कर्ता को सौंपने का पाबन्द रहेगा ।

लिहाजा पट्टा नामा सामने गवाहान लिखवा दिया है कि सनद रहे ओर समय पर काम आवे ।

गवाहान अलबीर सिंह पट्टा कर्ता
नरेश चन्द
1- अमर/1/12 नम्बरदार hcbhaamp.
अनगर

2- अशोक/1/12 नम्बरदार
अनगर
Yash

पट्टा ग्रहिता
बृजेश कपिल

brjesh k

30/5/07

PAWAN SHARMA
Deedwriter
(S.A. No. 101)



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

दोनों पक्षों एवं गवाह के हस्ताक्षर/चिन्ह अँगुठा हमारे सामने करवाये गये।

नरेश चन्द

Narash Chandra



मनैजर बृजेश कपिल

Brijesh Kapil

Balvir Singh
बलवीर सिंह नम्बरदार

यश कुमार

Yash Kumar

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 150 आज दिनांक 07/05/2007
को बही नः 1 जिल्द नः 21 पृष्ठ नः 232 पर पंजीकृत किया गया
तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 271
के पृष्ठ सख्या 61 से 62 पर चिपकाई गयी।

दिनांक 07/05/2007

[Signature]

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी

मुलाना



43

50 Rs.



दस्तावेज पट्टानामा

अस्ताम : 60/-रु

क्रमांक / दिनांक:

पट्टा भूमि: 0 कनाल 10 मरले

पट्टा अवधि: 30 वर्ष दिनांक 1-5-2007 ता 30-4-2037 तक

पट्टा राशि : 500/-रु प्रति वर्ष

वाका : धनौरा न0 80

पट्टा कर्ता : दिला राम पुत्र श्री गेन्दा राम पुत्र श्री मुरली राम निवासी धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा ग्रहिता : श्रीमति मायावती मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, यमुनानगर मार्फत मनैजर वृजेश कपिल पुत्र श्री नरेश कपिल निवासी धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला ।

पट्टा कर्ता ने वाका रकबा धनौरा सब तहसील मुलाना जिला अम्बाला में स्थित अपनी मलकियती भूमि अनुसार जमावन्दी 1999-2000 व इन्तकाल नम्बर 1761 तादादी 0 कनाल 10 मरले अज खेवट नम्बर 828/951 मिन नम्बर खसरा 35//19 रकबा 8-0 का 10/160 भाग बकदर 10 मरले को

पट्टा कर्ता
दिला राम

Dilam

पट्टा ग्रहिता
वृजेश कपिल

Vijesh Kapil

पट्टा कर्ता
दस्तावेज
(अम्बाला)

नं 679
3/5/07

गठनात्मक

दिलबाग उप गठनात्मक अ. धनौरा जिला अम्बाला

पञ्जीयन अधिकारी
मूलाणा

60/12

प्रलेख नः 152 दिनांक 07/05/2007

यह प्रलेख आज दिनांक 07/05/2007 दिन सोमवार समय

श्री दिला राम पुत्र श्री गेन्दाराम वासी धनौरा जिला अम्बाला

द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी

मुलाणा

Dilim

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता



प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया तथा प्रलेख में वर्णित

राशि मु० 500 के लेन - देन को भी स्वीकार किया यह राशि मेरे सम्मुख

श्री श्रीमति मायावती मै० ए० दा० पुत्र श्री वासी धनौरा जिला अम्बाला

द्वारा पेश की गई तथा दोनों पक्षों की पहचान श्रीबलबीर सिंह नम्बरदार पुत्र श्री

वासी धनौरा जिला अम्बाला व श्रीयश कुमार पुत्र श्री दिलबाग राय कुमार

वासी धनौरा जिला अम्बाला ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/सरपंच/पंच/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं

तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 07/05/2007

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी

मुलाणा


Dilim



Boysen Dubey

Yash

अ. धनौरा 15/5/07



हरियाणा HARYANA

/2/

02AA 320341

बशरह दर मु0 पांच सौ रूप्ये (500/-रु) प्रति वर्ष तीस वर्ष दिनांक 1-5-2007 ता 30-4-2037 तक पट्टा पर दे दी है दोनो पक्षो ने निम्न शर्ते आपस में तय की हैं :-

- 1- पट्टा ग्रहिता, पट्टा कर्ता को प्रतिवर्ष पट्टा राशि अदा करता रहेगा तथा रसीद प्राप्त करता रहेगा विला रसीद कोई अदायगी काबिले मुजरई न होगी । निरन्तर दो वर्ष पट्टा राशि न अदा किए जाने की सूरत में पट्टा कर्ता को हक होगा कि वह कब्जा भूमि प्राप्त कर लेवे तथा बकाया पट्टा की वसूली बजरिया कोर्ट कर लेवे ।
- 2- पट्टा ग्रहिता भूमि पट्टा को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे अर्थात उक्त भूमि में बिल्डिंग बनाए तथा खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करे या अन्य किसी प्रकार से भी एजुकेशनल प्रयोग में लावे, पट्टा कर्ता का कोई एतराज न होगा परन्तु पट्टा भूमि में कोई भी असंवैधानिक कार्य करने का हक पट्टा ग्रहिता को न होगा यदि करेगा तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा ।

पट्टा कर्ता
दिला राम

Dilam


पट्टा ग्रहिता
बृजेश कपिल

Brijesh Kapil

TAWAN SHARMA
District Judge, Bhatinda
(Bhatinda)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



हरियाणा HARYANA

/3/

02AA 320342

3- पट्टा ग्रहिता पट्टा भूमि में अपने नाम पर बिजली, टैलिफोन या पानी आदि के कनेक्शन लेवे पट्टा कर्ता का कोई एतराज न होगा ।

4- मियाद समाप्ति पर पट्टा ग्रहिता, भूमि पट्टा को , पट्टा कर्ता को सौंपने का पाबन्द रहेगा ।

लिहाजा पट्टा नामा सामने गवाहान लिखवा दिया है कि सनद रहे ओर समय पर काम आवे ।

गवाहान दिलीप सिंह पट्टा कर्ता
दिला राम

पट्टा ग्रहिता
बृजेश कपिल

1- अमर सिंह/पे नम्बरदार
दिलीप दिलीप

Brijesh Kapil

2- 2121 अमर सिंह/पे नम्बरदार
दिलीप
दिलीप

21/5/21

PAWAN SHARMA
Deed writer, Haryana
(Ambala)

बशर्त नं. 678 तम विक्रम
क्याय 07/05/2007 (प्रमाण-पत्र)



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

दोनों पक्षों एवं गवाह के हस्ताक्षर/चिन्ह अँगुठा हमारे सामने करवाये गये।

दिला राम

Dilam

मनैजर बृजेश कपिल

Brijesh khandelwal

बलवीर सिंह नम्बरदार

यश कुमार

Yash Kumar

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 152 आज दिनांक 07/05/2007
को बही नः 1 जिल्द नः 21 पृष्ठ नः 233 पर पंजीकृत किया गया .
तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 271
के पृष्ठ सख्या 65 से 66 पर चिपकाई गयी।

दिनांक 07/05/2007

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी
मुलाना

